छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-03

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

(अग्रहायण 30, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. विशेष उल्लेख

आपको अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 125वीं जयंती है और आज से 125वॉ जयंती वर्ष प्रारंभ हो रहा है।

आप अवगत ही होंगे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1932 एवं 1952 में रायपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे । 1952 से 1954 तक वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे । ठाकुर साहब लगातार तीन बार 1936, 1941 व 1944 में रायपुर नगर पालिका निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । 1936 में छत्तीसगढ़ कालेज की स्थापना के लिए गठित समिति के वे अध्यक्ष थे । उनके प्रयासों से ही कालेज के लिए भूमि और दान प्राप्त हुए थे ।

ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में छात्र, श्रमिक और किसान आंदोलन के जन्मदाता स्वीकार किये जाते हैं । छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण का संघर्ष उन्हीं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था । ठाकुर साहब ने सहकारिता के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों को संगठित कर अनेक समितियों की स्थापना की थी । छत्तीसगढ़ बुनकर संघ इसका ज्वलंत उदाहरण है ।

आज संयोगवश विधान सभा का सत्र चल रहा है, अत: ऐसे संयोगवश अवसर पर सदन की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में उनके योगदान को मैं स्मरण करता हूं और सभा की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं ।

2. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न हेतु श्री दीपक बैज सदस्य का नाम पुकारा गया।

श्री अजय चंद्रकार संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति के संबंध में उल्लेख करना चाहा।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

माननीय अध्यक्ष ने श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया कि इस प्रकार का विषय प्रश्नकाल में न उठायें।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता है या नहीं? त्यागपत्र देने के बाद सदन में नहीं बैठ सकते यह व्यवस्था है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.15 बजे स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने भी आसंदी से नेता प्रतिपक्ष की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस पर प्रश्नकाल के पश्चात चर्चा की जायेगी।

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06 से 10 एवं 12 से 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 05 एवं 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री राजू सिंह क्षत्री एवं विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. पृच्छा

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये सशर्त इस्तीफे के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए सदन से माफी मांगने का आग्रह किया एवं आसंदी से इस संबंध में व्यवस्था की मांग की गई।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने घटना से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखने की अनुमति चाही।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

सदन को स्मरण होगा कि आज प्रश्नकाल प्रारंभ होने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने मेरा ध्यान माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा की सदस्यता से सशर्त इस्तीफा दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह पृच्छा की कि त्यागपत्र के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और मैंने तत्समय सभा को यह सूचित किया था कि मैं इस संबंध में अपनी व्यवस्था पश्चात दूंगा। मैंने प्रश्नकाल के पश्चात नेता प्रतिपक्ष सहित माननीय मंत्रिगण व अन्य सदस्यों के विचार भी सुने। मैं सभा का ध्यान 17 दिसंबर, 2015 को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के निम्नांकित कथन की ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा:- और माननीय प्रधानमंत्री *श्री नरसिम्हा राव जी को गांव बुला लिया गया और गांव में जब नरसिम्हा राव जी आए तो जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया था कि फलाने व्यक्ति की भूख से मौत हो गई, वह व्यक्ति नरसिम्हा राव जी के सामने अपने गले पर एक पट्टा लगाकर बैठा था कि मैं फलाना व्यक्ति हूं और मैं जिंदा हूं ।(शेम-शेम की आवाज) रिबाई पंडो स्वयं गले में पट्टा लगाकर बैठे थे । आप लोग ऐसी राजनीति करना बंद करो ।*

तब एकाधिक सदस्यों ने, माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी के कथन को गलत बयानी की संज्ञा देते हुए, सदन को गुमराह करने वाला निरूपित किया था । पश्चात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं रिबई पंडो की बात आई, कहते हुए यह उल्लेख किया था कि *यदि उस समय रिबई पंडो की मृत्यु नहीं हुई थी तो मैं आज आपको इस्तीफा लिखकर देता हूं, मेरा*

इस्तीफा स्वीकार कर लीजिएगा । जो रिबाई पंडो था उनकी मृत्यु हुई थी तो माननीय सदस्य से इस्तीफे की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप तथ्यों की जानकारी ले लीजिए कि रिबई पंडो की मृत्यु हुई थी या नहीं । अगर सही रिबई पंडो की मृत्यु हुई थी तो कुछ नहीं तो कम से अपने इस कथन को वापस ले लीजिएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सदन से निकलूंगा और कंडीशनल इस्तीफा लिखकर आपको दे रहा हूं ।

मैंने रिबई पंडो के संबंध में दिनांक 9 मार्च 1992 को सभा में हुई चर्चा की कार्यवाही का संदर्भ भी लिया । कार्यवाही के मुख्य अंशों को मैं यहां उद्धृत करना समीचीन समझता हूं -

श्री श्यामाचरण शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से इसमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया और अभी फिर से हम लोगों को खबर मिली है कि दो मौतें और हो गई हैं । और वहां हमने हमारे जिन प्रतिनिधियों को जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था, उनसे हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार रघुनाथनगर में कई लोगों ने कहा कि लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और पूजाटोरा ग्राम में रिबई पंडो परिवार के 2 सदस्य भूख से मर चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, रिबई पंडो जो 80 वर्ष का है, उसकी बहू बकली तथा बाबूलाल दोनों भूख से मर चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से गलत बयानी की जा रही है, कलेक्टर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है । भूख से वहां लोग मर रहे हैं । जिस परिवार के लोग भूख से मरे हैं । उनका नाम दे रहा हूं । उनका विस्तृत विवरण दे रहा हूं । शासन की ओर से रिबई पंडो की जो 80 वर्ष का बूढ़ा है उसको निराश्रित पेंशन देने के लिए एक आदमी को समाज कल्याण विभाग की ओर से भेजा गया था उसमें लिखा गया कि भूख से 2 व्यक्ति मर चुके है इसलिए उसको निराश्रित पेंशन दी जा रही है ।

उपरोक्त कार्यवाही के अवलोकन से यह संदेहरहित रीति से कहा जा सकता है कि रिबई पंडो की मृत्यु नहीं हुई थी अपितु उसके परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हुई थी । जैसा कि तत्समय के नेता प्रतिपक्ष श्री श्यामाचरण शुक्ल ने सभा की कार्यवाही में उद्धृत किया । मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में बहस के दौरान वे जो कुछ भी तथ्य सभा में उद्धृत करें वे पुष्ट जानकारी के आधार पर अभिलेखों को संदर्भित करके रखें, ताकि सभा में जो भी जानकारी आए वह तथ्यात्मक और सही हो । यदि पश्चात् भी यह संज्ञान में आए कि कुछ त्रुटिपूर्ण तथ्य सभा में रख दिये गये हैं तो माननीय सदस्य उनमें संशोधन का आग्रह भी सभा में कर सकते हैं आशय यह है कि सभा को सही तथ्य प्राप्त हों ।

आज माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा पूर्व में कही गई बातों को चूक स्वीकार करते हुए विस्तार से अपनी बात रखी । इस परिप्रेक्ष्य में यह मामला समाप्त हो गया है । जहां

तक माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स:शर्त इस्तीफा दिये जाने का प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 276(1) की पूर्ति करते हुए प्राप्त त्यागपत्र ही विचार में लिया जा सकता है । मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष से प्राप्त त्यागपत्र उक्त नियम की पूर्ति नहीं करता ।

इस व्यवस्था के साथ ही मैं इस सम्पूर्ण प्रकरण को समाप्त करता हूं और अब इस पर सभा में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी ।

6. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा महिला उत्पीड़न संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उक्त स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 **पटल पर रखा।**

निरंतर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.56 बजे स्थगित की जाकर 1.10 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर संभाग में एनीकट निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने जिला बलरामपुर में बायोमेट्रिक्स तथा फिल्टर मशीन क्रय किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 4 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

9. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 21.12.2015 को उन्होंने सदन में 07 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दीपक बैज
(2) श्रीमती तेजकुंवर नेताम
(3) श्री केशव चंद्रा
(4) डॉ. प्रीतम राम
(5) श्री धनेन्द्र साहू
(6) श्री अमरजीत भगत
(7) श्री राजेन्द्र कुमार राय

10. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 की तिथि निर्धारित की।

(1.38 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

11. माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को यथापारित छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा

(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2015 में की गई निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश पर विचार किया जाय :-

"(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 के खंड-2 की धारा 5 की उपधारा (4) में संशोधन।

(2) संशोधन संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को सुरक्षित रखता है या नहीं, इस संबंध में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को यथापारित छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) को यथापारित स्वरूप में पुन: पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, मोहन मरकाम।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 26 सन् 2015) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, मोहन मरकाम, उमेश पटेल, सियाराम कौशिक, (डॉ.) विमल चोपड़ा, बृहस्पत सिंह, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 27 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री अशोक साहू, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 28 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015)

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, उमेश पटेल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेश गागड़ा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 29 सन् 2015)) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, नवीन मारकण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

बृहस्पत सिंह, देवजी भाई पटेल, संतराम नेताम, डॉ. विमल चोपड़ा।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 30 सन् 2015) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री लाभचंद बाफना-संसदीय सचिव, मोहन मरकाम, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री उमेश पटेल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, बृहस्पत सिंह, अवधेश सिंह चंदेल, उमेश पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री रामदयाल उईके, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 30 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(9) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 34 सन् 2015)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 34 सन् 2015) पर विचार एवं पारण हेतु कल का समय निर्धारित किया ।

(10) छत्तीसगढ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, रामदयाल उईके, बृहस्पत सिंह।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 35 सन् 2015) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(11) छत्तीसगढ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, रामदयाल उईके, बृहस्पत सिंह, डॉ. विमल चोपड़ा।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सायं 6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 (पौष, 01 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा